-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना पैलानी पुलिस द्वारा भैंस चोरी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को लिया गया संरक्षण में।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 02 भैंसे, 19.5 हजार रुपये नकद सहित परिवहन/घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा भैस चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम साड़ी की रहने वाली एक महिला संगीता ने दिनांक 24.11.2026 को थाना पैलानी पर सूचना दी थी कि दिनांक 23/24.11.2026 की रात्रि को उनके घर के बाहर बंधी 02 भैंसे चोरी हो गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.11.2026 की देर रात्रि में ग्राम खैरई से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 भैंसे, 19500 रूपए नकद सहित घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन आदि बरामद हुए है। साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी नियमानुसार संरक्षण में लिया गया। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों से पशु चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है तथा इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 02 नग भैंसे (चोरी की)
- 19500 रुपए नकद
- 01 एन्ड्रॉयड फोन
- 01 पिकअप वाहन (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मधुसूदन पुत्र इंद्रपाल निवासी नया डेरा खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 252/2026 धारा 303(2)/317(2) थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अनुग्रह नारायण
2. हे0कां0 अरविन्द कुमार पाल
3. कां0 देवेन्द्र सिंह यादव
4. कां0 दीपक दुबे